

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 20/2025

अनवान :

1. राहुल पुत्र अजय कुमार जाति कुम्हार सिख निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. श्यामसुन्दर पुत्र अजय कुमार जाति कुम्हार सिख निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. अजय कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति कुम्हार सिख निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. भीरादेवी (वीरां) पत्नी सुभाषचन्द्र जाति कुम्हार सिख निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सुनीता पुत्री सुभाषचन्द्र पत्नी गुरतेजसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. गीता पुत्री सुभाषचन्द्र पत्नी सुखदेव जाति कुम्हार सिख निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. हंसरी (निर्मला देवी) पुत्री सुभाषचन्द्र पत्नी देवीलाल जाति कुम्हार सिख निवासी सूर्यनगर, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955
उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग

:- वादीगण

2 अधिवक्ता करनैलसिंह

:- प्रतिवादीगण

डिक्री


दिनांक 31/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साधित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 1 आर डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 46 में कुल 30.107 है० में से प्रतिवादीगण सं० 2 ता 5 प्रत्येक के 239/21505 हिरसा की आराजी के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 1 आर डबल्यू डी के खाता सं० 46 में से गीता, गीरादेवी, सुनीता, हंसरी का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन गुक्त होने के

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी

बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक क्लर्क
टिब्बी